-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 12.12.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना अतर्रा पुलिस द्वारा चोरी करने वाले अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्तो के पास चोरी किये गये सिलेन्डर, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा चोरी, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.12.2025 को थाना अतर्रा पुलिस चोरी करने वाले 02 अभियुक्तो को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि थाना अतर्रा क्षेत्र के ग्राम सेमरिया कुशल की रहने वाली कमलेश कुमारी द्वारा दिनांक 11.12.2025 को अतर्रा पर सूचना दी कि दिनांक 10.12.2025 रात्रि को गांव के ही तुग्गन व उनके साथियों द्वारा खिड़की को तोड़कर गैस सिलेन्डर चोरी कर ले गये है। सूचना पर थाना अतर्रा में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 12.12.2025 को थाना अतर्रा पुलिस द्वारा गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तों को जरुआ चौकी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। मौके से 02 गैस सिलेन्डर, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुआ। पुलिस द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए मा0 न्यायालय भेजा गया।

बरामदगी-

- 02 गैस सिलेन्डर (चोरी के)
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रामनरेश पुत्र राम गोपाल निवासी मूशानगर बिसंडा रोड कस्बा व थाना अतर्रा जनपद बांदा।
2. विनोद उर्फ तुग्गन पुत्र बुध्दविलास निवासी सेमरिया कुशल थाना अतर्रा जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 448/25 धारा 331(4)/305 बीएनएस थाना अतर्रा जनपद बांदा।
- मु0अ0सं0- 450/25 धारा 331(4)/305/317 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अतर्रा जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक थाना अतर्रा श्री ऋषिदेव सिंह
2. व0उ0नि0 श्री प्रेमपाल सिंह
3. उ0नि0 मणिशंकर
4. कां0 अर्जुन वर्मा
5. कां0 रितिक राय